संख्या- ए. 20011/19(अ)/2019- हिन्दी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

समन्वय निदेशालय

(पुलिस बेतार)

खंड-9, कें.स. का. परिसर

लोधी रोड, नई दिल्ली -3

दिनांक- 22 जुलाई, 2019

सेवा में,

सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/ स्टेशन अधीक्षक।

विषय: मुख्यालय निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जून 2019 को समाप्त तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में इस निदेशालय के दिनांक 09 जुलाई 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए. 20011/04/2017-हिंदी का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत निदेशालय की दिनांक 27 जून 2019 को आयोजित हुई तिमाही बैठक की कार्यवृत्त अग्रेषित की गयी थी। (यह पत्र विभाग के सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है)।

2. उपर्युक्त कार्यवृत्त के निर्णयों पर सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/स्टेशन अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय/केन्द्र पर निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करनी अपेक्षित है :-

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक और हिंदी कार्यशाला प्रत्येक तिमाही के दूसरे महीने के तीसरे सप्ताह से पहले आयोजित की जाए और इसकी सूचना निदेशालय में भेजी जाए।

(ख) अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, लखनऊ, रायपुर, जम्मू और दमन द्वारा अभी तक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की सदस्यता ग्रहण नहीं की गयी है, नराकास की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। कृपया नराकास की सदस्यता ग्रहण करने हेतु अतिशीघ्र कार्यवाही करें तथा की गई कार्रवाई से निदेशालय के राजभाषा अनुभाग को अवगत कराएं।

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजातों को निश्चित रूप से दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में जारी किए जाएं। धारा 3 (3) के अंतर्गत ये 14 कागजात आते हैं:- **सामान्य आदेश (General Orders), परिपत्र (Circulars), संकल्प (Resolutions), नियम(Rules), ज्ञापन (Memorandum), अधिसूचनाएं (Notifications), प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन (Administrative & other reports), प्रेस विज्ञप्तियां (Press Communiques), संविदाएं (Contracts), करार (Agreements), अनुज्ञप्तियां (Licences), अनुज्ञा पत्र (Permits), निविदा सूचना तथा निविदा प्रारूप (Tender Notices & Forms of Tender), नीति दस्तावेज**

(Policy Documents). कृपया जारी किए गए सिर्फ इन्हीं कागजातों के आंकडें राजभाषा हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के भाग-I के पैरा **1** में भरा जाए तथा की गई कार्रवाई से निदेशालय को अवगत कराया जाए।

(घ) केन्द्रों पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की **हिंदी ज्ञान की स्थिति** की सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुसार भरकर इस निदेशालय में अग्रेषित की जाए ताकि कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु नामित करने संबंधी कार्रवाई की जा सके।

(ङ) केन्द्रों में उपलब्ध सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी में काम करने की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए यूनिकोड समर्पित (माइक्रोसोफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल) प्रणाली लोड की जाए तथा की गई कार्रवाई से निदेशालय को अवगत कराया जाए।

(च) राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2019-20 में दिए गए लक्ष्यों को हासिल करने के प्रभावी प्रयास किए जाएं। इसके अंतर्गत 'क' (इसमें जयपुर, लखनऊ, देहरादून, भोपाल, रायपुर, रांची, पटना, शिमला एवं पोर्टब्लेयर केन्द्र शामिल हैं।) एवं 'ख' क्षेत्र (चंडीगढ़, मुम्बई, गांधीनगर एवं दमन केन्द्र शामिल हैं।) में स्थित कार्यालयों को 100 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में करना अनिवार्य है। 'ग' क्षेत्र ('क' एवं 'ख' को छोडकर बाकी सभी केन्द्र, यानी जम्मू, भुवनेश्वर, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, कवरत्ती, बैंगलुरू, हैदराबाद, गंगटोक, कोलकाता, दिसपुर, अगरतला, ईटानगर, शिलांग, कोहिमा और इम्फाल, आईज़ॉल, पणजी और पांडिचेरी केन्द्र शामिल हैं।) में स्थित कार्यालयों के लिए लक्ष्य 55 प्रतिशत है।

3. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/केन्द्र अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संदर्भित पत्र के पैरा 2 (क) से 2 (च) में उल्लिखित मदों पर आपके कार्यालय द्वारा की गई बिंदुवार कार्रवाई से इस निदेशालय को पत्र जारी करने की तिथि से एक माह के अंदर अवगत कराने का कष्ट करें ताकि निदेशालय की आगामी बैठक में इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को दी जा सके। कृपया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(हस्ताक्षर) 22.07.2019

(डॉ. आर. के. सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष- 011-24361588
ई-मेल- rajivkumar.79@dcpw.gov.in

संलग्न: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि

सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी):- कृपया विभाग के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु (पत्र को सर्कुलर भाग में एवं प्रपत्र को यूटीलिटी भाग में अपलोड कर दिया जाए)।

हिन्दी प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर का प्रपत्र

अनुभाग/केन्द्र का नाम : ....

1	2	3	4	5	6		7	8
क्रम सं.	कार्मिक का नाम तथा पदनाम	जन्मतिथि	मातृ भाषा	शैक्षिक योग्यता	हिंदी ज्ञान की स्थिति/ हिंदी योग्यता		प्रशिक्षण की स्थिति (हिंदी टाइपिंग, हिंदी प्रबोध, प्रवीण, या प्राज्ञ या परीक्षा उत्तीर्ण आदि की स्थिति)	अभ्युक्ति
					(क)	(ख)		
					क्या कक्षा 10 या इससे उच्च शिक्षा हिंदी एक विषय के साथ उत्तीर्ण की है (हां या नहीं)	कक्षा 10 या इससे उच्चत्तर शिक्षा का माध्यम (हिंदी, अंग्रेजी या अन्य)		